प्रमाणित छाया प्रतिलिपि डिक्री दि० 18-9-19 मु.नं. रामकुव
V/S लड्डू वगै दावा मु.नं. 20/13

डिक्री

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम सवाई माधोपुर

वइजलास –रघुनाथ ; आर.ए.एस.

1–रामकुवार पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
2–रामस्वरूप(मृतक) पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
2/1–कमला पत्नी स्व0 रामस्वरूम जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
2/2–राजूलाल पुत्र स्व0 रामस्वरूम जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
2/3–जितेन्द्र पुत्र स्व0 रामस्वरूम जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
3–हरिप्रसाद पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
4–प्रेम पत्नी स्व0 गोपाल जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
5–बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
6–शंकर पुत्र स्व0 गोपाल जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
7–नाहरसिंह पुत्र गोपाल जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर

–वादीगण

बनाम

1– लड्डू पुत्र स्व0सुवा जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2–जन्सी पुत्र स्व0सुवा जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3–जगदीश (मृतक)पुत्र स्व0सुवा जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3/1–फूलवती उर्फ फूल बाई बेवा जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3/2–लक्ष्मी पुत्री स्व0जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/3–रामपती पुत्री जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3/4–सुमित्र पुत्री स्व0 जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/5–मोना पुत्री जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/6–कोमल पुत्री स्व0 जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/7–इन्द्रा पुत्री स्व0जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/8–अन्जू पुत्री स्व0जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
4– फूलचंद पुत्र सुवा जाति रेगर निवासी नयां पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
5–रामनिवास पुत्र स्व0 पन्ना जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
6–कैलाश पुत्र स्व0 पन्ना जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
7–चिरन्जी पुत्र पन्ना जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
8–तहसीलदार लैण्ड होल्डर ,तहसील सवाई माधोपुर

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188,92,92ए आर0टी0एक्ट

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
(अशोक नरुका)
सहा० कार्यालय अधीक्षक

INDIA TWO RUPEES

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि के.नं. 20/13

मुकदमा नम्बर 20/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रघुनाथ ,आर0ए0एस0 उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर वादीगण की ओर से श्री विनोद अग्रवाल ,एडवोकेट ,श्री कमलेश जैन एडवोकेट,प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आराज़ी खसरा नंबर 387 रकबा 0.13है0,खसरा नंबर 398 रकबा 0.10है0 ,ख0नं0 429 रकबा 0.14है0, ख0 नं0 384 रकबा 0.14है0 व ख0 नं0 406 रकबा 0.23है0, वाके ग्राम नया पढाना जिनके पुनः नवीन खसरा नंबर 413, 417, 429, 437 व 462 बने है वाके ग्राम नया पढाना तहसील सवाई माधोपुर के लिए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात के लिए वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने तथा उक्त आराजीयात के लिए सुवा एवं अन्य प्रतिवादीगण का नाम जो वर्तमान जमाबंदी में खातेदारी में दर्ज है को हजफ करने हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत न तो स्वयं पैदा करे न ही अन्य से करावे । खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निज – मुबलिग – बाबत – खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ..... NiL ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक. NiL .....अदा करें।

डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10–09–2019को जारी की गई।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प दावा	2.00	स्टाम्प जवाब दावा	2.00
वकालतनामा	2.00	वकालतनामा	2.00
योग	4.00		4.00

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
(अशोक नरूका)
सहा. कार्यालय अधीक्षक
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

24.9.19
24.9.19
25.9.19
4/-
24531
2
विनोद अग्रवाल
25.9.19

प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दि. 18-9-19 मु. न 20/13

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी –रघुनाथ ,आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर 20/2013 किस्म मुकदमा –दावा तारीख रजू 03–04–2013

उनवान

1–रामकुवार पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
2–रामस्वरूप(मृतक) पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
2/1–कमला पत्नी स्व0 रामस्वरूम जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
2/2–राजूलाल पुत्र स्व0 रामस्वरूम जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
2/3–जितेन्द्र पुत्र स्व0 रामस्वरूम जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
3–हरिप्रसाद पुत्र नारायण जाति रेगर निवारी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
4–प्रेम पत्नी स्व0 गोपाल जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
5–बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
6–शंकर पुत्र स्व0 गोपाल जाति रेगर निवासी नया पढाना,रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर
7–नाहरसिंह पुत्र गोपाल जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला स0माधोपुर

–वादीगण

बनाम

1– लडडू पुत्र स्व0सुवा जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2–जन्सी पुत्र स्व0सुवा जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3–जगदीश (मृतक)पुत्र स्व0सुवा जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3/1–फूलवती उर्फ फूल बाई बेवा जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3/2–लक्ष्मी पुत्री स्व0जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/3–रामपती पुत्री जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3/4–सुमित्र पुत्री स्व0 जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/5–मोना पुत्री जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/6–कोमल पुत्री स्व0 जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/7–इन्द्रा पुत्री स्व0जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3/8–अन्जू पुत्री स्व0जगदीश रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
4– फूलचंद पुत्र सुवा जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
5–रामनिवास पुत्र स्व0 पन्ना जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
6–कैलाश पुत्र स्व0 पन्ना जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
7–चिरन्जी पुत्र पन्ना जाति रेगर निवासी नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
8–तहसीलदार लैण्ड होल्डर ,तहसील सवाई माधोपुर

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188,92,92ए आर0टी0एक्ट

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि

(2)

उपस्थित अभिभाषक गण
श्री विनोद अग्रवाल –वादीगण
श्री कमलेश जैन –प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 18–09–19

प्रस्तुत वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर पुराने 130 रकबा 2बीघा ,ख0 नं0 117/1 रकबा 2बीघा 2 विस्वा , वाके ग्राम नया पढ़ाना रामसिंहपुरा में सुवा पुत्र ग्यारस्या व पन्ना पुत्र ग्यारस्या जाति रेगर की खातेदारी आराजीयात रही है । जिसमें से 1 बीघा 1 विस्वा हिस्सा सुवा पुत्र ग्यारस्या रेगर ने वादीगण के बुजुर्ग नारायण पुत्र काना रेगर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16–01–67 को विक्रय किया । खसरा नंबर 117/1 रकबा एक बीघा एक विस्वा के नये खसरा नंबर 398, 387, बने है , व खसरा नंबर 130 के नये खसरा नंबर 429 बने है , जिन पर वादीगण का कब्जा खरीद के उपरान्त से निरन्तर चला आ रहा है । विक्रेता सुवा के खाते में खसरा नंबर 130 रकबा 11 विस्वा भूमि थी , खसरा नंबर 130 रकबा 2 बीघा का बेचान बताया है लेकिन इतनी भूमि इस नंबर के खाते में नही थी । बल्कि खसरा नंबर 119 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा भूमि ओर थी जिसके नये नंबर खसरा नंबर 384, 406 बने है । जिन पर भी वादीगण का विक्रय पत्र दिनांक 16–01–67 से लगातार कब्जा चला आ रहा है । प्रतिवादीगण के बुजुर्ग ने कुल 3बीघा 1 विस्वा भूमि वादीगण के बुजुर्गो को विक्रय की थी । यह कि दिनांक 25–2–13 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा की न्यायालय में चल कर कब्जाअनुसार खातेदारी विवादित आराजीयात कि अदला बदली करवा लेते है । लेकिन प्रतिवादीगण ने न्यायालय में आने से साफ इन्कार कर दिया व कहने लगे की उक्त आराजीयात हमारी खातेदारी में है तथा दीगर व्यक्ति को बेंचेगे यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रतिवादीगण अपने नाम का रेवेन्यु रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने का फायदा उठाना चाहते है । अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे । उद्घघोषणा इस अमर कि जावे कि आराजी खसरा नंबर नवीन 387, 398 ,429 384, 406 वाके ग्राम नया पढाना रामसिंहपुरा के वादीगण खातेदार है । वादीगण नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात के वादीगण के कब्जे काश्त में मानेमजाहमत न तो स्वंय करे , न ही अन्य से करावे ।

उप जिला कलेक्टर
[illegible]

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
(अशोक नरूका)

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि

(3)

प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन बनाम प्रतिवादीगण जारी किये प्रतिवादीगण नंबर 1लगा0 7 की ओर से जवाब पेश किया गया ,जिसमें अंकित किया गया कि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग सुवा के द्वारा वादीगण के पिता नारायण को कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नही करवाया है जो विक्रय पत्र वाद में प्रस्तुत किया है । वह फर्जी विक्रय पत्र है । विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता की कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजीयात है जिसे वादीगण हड़पना चाहते है । अतः वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें ।

प्रस्तुत वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :—

1— वादीगण इस आशय कि उद्वघोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि नवीन खसरा नंबर 387रकबा 0.13है0 , ख0नं0 398 रकबा 0.10है0 , खसरा नं0 429 रकबा 0.14है0 ,ख00न0 384 रकबा 0.14है, ख0नं0 406 रकबा 0.23है0वाके ग्राम नया पढाना रामसिंहपुरा तहसील सवाई माधोपुर के खातेदार घोषित होने योग्य है एवं प्रतिवादीगण के सारे अधिकार तहत धारा 63व 65 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट से समाप्त हो चुके है । —वादी

2— आया वादीगण तहत धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अल्टरनेटीवली बाई एडवर्स पजेशन भी विवादित आराजी के खातेदार घोषित होने योग्य है । —वादी

3— आया वादीगण विवादित आराजीयात बाबत तमाम रेवेन्यु रिकार्ड एवं रिकार्ड ऑफ राइटस् से दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है । —वादी

4— यह कि वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वे विवादित आराजी के वादीगण कब्जे कास्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा नही करें। —वादी

5— आया वादीगण द्वारा पेश रजिस्ट्रीया फर्जी व जाली है ।, —प्रतिवादी

6— आया वादग्रस्त आराज़ी प्रतिवादीगण के पिता सुवा पुत्र ग्यारस्या रेगर की खातेदारी में थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण की खातेदारी में चली आ रही है । —प्रतिवादी

7— आया दावा म्याद बाहर है —प्रतिवादी

8— अन्य दादरसी

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
(अशोक नरूका)
सहा. कार्यालय अधीक्षक
उप जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

साक्ष्य वादी में वादी रामकुवांर के बयान शपथ पत्र पर पेश हुए। तथा जमाबंदी सम्वत 2069—72 प्रदर्श—1 खाता संख्या 218 जमाबंदी सम्वत 2069—72 प्रदर्श —2 खाता संख्या 217 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—3,व 4 ,जमाबंदी 2042—43 , प्रदर्श—5 , नामा0 संख्या 1 प्रदर्श—6, नामा0 संख्या 58 प्रदर्श—7, खसरा गिरदावरी सम्वत 2054—57प्रदर्श—8, सत्यप्रतिलिपि विक्रय पत्र प्रदर्श—9, शपथ पत्र के0एम0 कवरिया प्रदर्श—10, शपथ पत्र सुक्खा प्रदर्श—11,शपथ पत्र बद्री प्रदर्श—12, मृत्युप्रमाण पत्र सुवालाल प्रदर्श—13,वोटरलिस्ट प्रदर्श 14, लगान की रसीदे प्रदर्श —15व 16, दावे की प्रति प्रदर्श —17,आर्डरशीट प्रदर्श —18—19,प्रार्थना पत्र की प्रति प्रदर्श —20,जवाब प्रदर्श —21, जबाबुलजवाब प्रदर्श—22, दर0 दि0 27—4—92 प्रदर्श—23, शपथ

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि

पत्र दिनांक 23–4–92 प्रदर्श 24व , निर्णय एसडीओ स0माधोपुर दि0 2–5–92 प्रदर्श–26, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–27, जमाबंदी सम्वत 2071–74 प्रदर्श–28, प्रदर्शित करवाये जिनसे वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह पूर्ण की गई । साक्ष्य वादी ने ही किशनलाल ,नवलकिशोर ,राधेश्याम के बयान शपथ पत्र पर पेश हुये । राधेश्याम व नवलकिशोर से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह पूर्ण कि । साक्ष्य प्रतिवादी ने लडडू के बयान शपथ पत्र पर पेश हुये तथा जमाबंदी सम्वत 2042–45 प्रदर्श–ए/1 ,गिरदावरी सम्वत 2046–49, प्रदर्श ए/2 लगान रसीद ,जमाबंदी सम्वत 2071–72 –पदर्श ए/4 ,जमाबंदी सम्वत 2069–72प्रदर्श ए/5,प्रदर्शित करवाए जिनसे वकील वादी कि जिरह पूर्ण हुई । साक्ष्य प्रतिवादी में मांगीलाल के बयान शपथ पत्र पर पेश हुए किन्तु जिरह हेतु उपस्थित नही होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई ।

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
(अशोक नरूका)
सहा. कार्यालय अधीक्षक
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

हमने उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा वादीगण तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत मोखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का भी गहनता से अवलोकन किया ।

प्रस्तुत प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :–

तनकी नंबर –1 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है,

वादीगण के पिता नारायण पुत्र काना ने प्रतिवादीगण के पिता सुवा पुत्र ग्यारस्या जाति रेगर से उक्त विवादित आराजीयात सन् 16–1–67से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था , जिसकी पालना में प्रार्थी के पिता नारायण के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 02–07–90 को स्वीकार किया जा चुका है , जो प्रदर्श –6 है ।जमाबंदी प्रदर्श–5 के अनुसार वादीगण के पिता का नाम खातेदारी में दर्ज है तथा वादीगण के पिता की मृत्यु के उपरांत विरासत के नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 28–5–93 से खातेदारी वादीगणो के नाम दर्ज हो रही है । प्रथम सेटलमेंट होने के उपरांत भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत इन्द्राज करते हुए पुरानी खातेदारी विक्रेता के नाम दर्ज कर दी है । विक्रेता सुवा द्वारा दिनांक 10–7–90 में उनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जो प्रदर्श 18व 19 है । न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र को अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है । इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग की गलती से पुनः खातेदारी विक्रेता सुवा के नाम गलती से दर्ज हुई है जिसे दुरूस्त कराने का वादीगण हकदार है । अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नंबर –2 इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर है । विवादित आराजीयात के संबंध में तनकी नंबर 1 में विवेचन किया जा चुका है कि वादीगण विवादित आराजीयात की खातेदारी को प्राप्त करने के अधिकारी है । वादीगण का कब्जा विवादित

कलेक्टर

प्रमा... गया प्रतिलिपि

आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद करने की दिनांक 16—1—67से चल रहा है। जो आदिनांक तक वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है ,जिसकी ताईद में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुये है । इस प्रकार इस तनकी को भी वादीगण सिद्ध करने में सफल रहे है । अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नंबर —3 — इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है , इस तनकी के संबंध में विस्तृत विवेचन तनकी नंबर एक में किया जा चुका है । वादीगण के पिता द्वारा सन् 1967 में प्रतिवादी के पिता से उक्त आराजीयात खरीदी थी तथा 1990 में वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण खुला लेकिन भूप्रबन्ध विभाग ने उक्त नामान्तकरण का अमल नही करके पुनः खातेदारी विकेता के नाम दर्ज कर दी जिसे दुरूस्त कराने का वादीगण हकदार है । इस प्रकार यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नम्बर —4 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। तनकी नंबर एक, दो व तीन वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है । वादपत्र में वादीगण द्वारा अंकित किया है कि विकेता सुवा की मृत्यु सन् 1993 में हो चुकी थी ।भूप्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में गलत किये गये इन्द्राज का प्रतिवादीगण अनुचित लाभ उठाने के उद्धेश्य से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर वर्तमान जमाबंदी में हुए गलत इन्द्राज का फायदा उठाने के उद्धेश्य से विरासत का नामान्तरकरण खुलवा करके दीगर व्यक्ति को उक्त आराजीयात का बेचान करना चाहते है । जबकि उक्त आराजीयात वादीगण के पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीदी है । इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण बेचान कर सकते है । अतः यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
(अशोक नरूका)
सहा. कार्यालय अधीक्षक
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तनकी नम्बर —5 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में दिनांक 16—01—67 को प्रतिवादीगण के पिता द्वारा कराया गया रजिस्टर्ड विकय पत्र फर्जी होना बताया यदि रजिस्टर्ड विकय पत्र फर्जी था तो प्रतिवादीगण इस रजिस्टर्ड विकय पत्र के संबंध में वादीगण के विरूद्ध एफ0आई0 आर0 दर्ज कराकर अनुतोष कर सकते थे , तथा इस विकय पत्र को निरस्त कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उक्त विकय पत्र को निरस्त कराने कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र थे । प्रतिवादीगण द्वारा इस तनकी के संबंध में कोई कार्यवाही नही की है । अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी नम्बर —6 इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है । तनकी नंबर एक में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन खसरा बनाते

जिला कलक्टर

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि निर्णय दि॰ 18-9-19 दि॰ 20

समय वापस खातेदरी विक्रेता के नाम दर्ज कर दी गई जबकि क्रेतागण के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होकर जमाबंदी सम्वत 2042–45 के अनुसार वादीगण की खातेदारी दर्ज हो चुकी थी , इस प्रकार प्रतिवादीगण का नाम भूप्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती के कारण गलत रूप से दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त कराने के वादीगण हकदार है । अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी नंबर – 7 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । भूप्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को सुधार करने हेतु कभी भी वाद पत्र पेश करके अनुतोष किया जा सकता है । जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित नही है । अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी नम्बर –8 प्रतिवादीगण द्वारा तनकी नंबर 5 ,6 व 7 को सिद्ध करने में कतई असफल रहे है । तथा वादीगण अपनी तनकी नम्बर 1 ,2 , 3 व 4 को सिद्ध करने में सफल रहे है ,उक्त तनकीयात वादीगण के पक्ष में निर्णित हुई है । अतः वादी गण का वाद पत्र स्वीकार करने योग्य है ।

इस प्रकार तनकीवार दिये गये निर्णय के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नंबर 387 रकबा 0.13है0,खसरा नंबर 398 रकबा 0. 10है0 ,ख0नं0 429 रकबा 0.14है0, ख0 नं0 384 रकबा 0.14है0,व ख0 नं0 406 रकबा 0.23है0, वाकेग्राम नया पढाना जिनके पुनः नवीन खसरा नंबर 413, 417, 429, 437 व 462 बने है वाके ग्राम नया पढाना तहसील सवाई माधोपुर के लिए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात के लिए वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने तथा उक्त आराजीयात के लिए सुवा एवं अन्य प्रतिवादीगण का नाम जो वर्तमान जमाबंदी में खातेदारी में दर्ज हैं को हजफ करने हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि वादीगण की उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत न तो स्वयं पैदा करे न ही अन्य से करावे । खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांकः 18 –09–2019को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि
(अशोक नरुका)
सहा. कार्यालय अधीक्षक
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.19 13:04:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: